तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मु. तोफली बनाम श्रीमती माली** **प्रार्थना पत्र बाज. संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/18**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.25	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट का दौरान बहस कथन रहा है कि अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार परिवर्तन के कारण पत्रावली न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्थानान्तरित हुई। प्रकरण में एक अन्य पत्रावली संख्या 2024/504 उनवानी अरविन्द कुमार बनाम श्रीमती माली देवी व अन्य बहस हेतु नियत चली आ रही है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित चला आता रहा है जो कि अन्य पत्रावली उनवानी अरविन्द कुमार बनाम श्रीमती माली देवी के साथ पत्रावली की सुनवाई साथ–साथ होना मानकर उपस्थिति रहा है, लेकिन उपरोक्त उनवानी पत्रावली में अलग तारीख पेशी दी गई। इस कारण से अपील में प्रार्थीगण व उसके अधिवक्ता जो नियत दिनांक को उपस्थित नही हो पाये। इस कारण से प्रकरण दिनांक 31.12.24 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील संख्या 2024/508 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2024 को अपास्त फरमाया जावें तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावें। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रकरण उनवानी अरविन्द कुमार बनाम श्रीमती माली देवी बहस में नियत चल रहा है तथा दोनों पत्रावलियां एक साथ तारीख पेशी पर चलती रही है किन्तु दोनों पत्रावलियां में अलग–अलग तारीख पेशी हो जाने के कारण अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। जिसे पुनः नम्बर पर लिया जाना एवं प्रकरण में पूर्व में जारी स्थगन को भी मुकदमात की बहुलता को रोकने के तथ्य के मद्देनजर निरंतर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की मूल अपील संख्या 2024/508 उनवानी तोफली बनाम श्रीमती माली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रकरण में पूर्व से जारी स्थगन आदेश को निरंतर रखा जाता है। हस्तगत पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल अपील रहे। **(डॉ0 प्रवीण कुमार)** **अति. संभागीय आयुक्त** **जयपुर।**	